श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा, माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग एवं लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार –सह– अध्यक्ष, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2012 को सम्पन्न जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा पंजी।

सर्वप्रथम नववर्ष की शुभकामना प्रकट करते हुए माननीय मंत्री महोदय द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं 20–सूत्री सदस्यों को उनकी उपस्थिति हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। माननीय मंत्री महोदय ने जिलाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया कि भविष्य में आयोजित होने वाले 20–सूत्री बैठकों से संबंधित बुकलेट/प्रतिवेदन सभी सदस्यों को दो दिन पूर्व ही उपलब्ध करा दिया जाय ताकि सरकार द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं संबंधी प्रतिवेदन का अध्ययन माननीय सभी सदस्यों द्वारा किया जाय एवं बैठक में बिन्दुवार कार्यक्रमों पर चर्चा की जा सके। तदोपरान्त पूर्व में दिनांक 28.07.11 को सम्पन्न जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत कराया गया।

गत बैठक में जिलाधिकारी, मुंगेर ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी मुख्य योजनाओं को शामिल करने का निदेश दिया गया है जिसके कारण जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यों का दायरा काफी बढ़ा है। संभवतः यह देखा जाता है कि जो प्रतिवेदन तैयार होता है उसमें संबंधित विभागों के मासिक प्रतिवेदन को ही शामिल किया जाता है एवं कई मूलभूत विशेषताओं वाले योजनाओं का समावेश एवं उस पर चर्चा नहीं हो पाती है। इसके मद्देनजर गत बैठक में सभी विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के वित्तीय वर्ष के आंकड़ों का समावेश कर प्रतिवेदन तैयार किया गया है। साथ ही विभागवार समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर सभी सदस्यों को अपनी बात कहने एवं उसपर चर्चा करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

तदोपरान्त तैयार किये गये विभागवार समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गयी एवं निम्न निदेश दिये गये :–

2.0 ग्रामीण विकास विभाग :–

2.1 इंदिरा आवास :–

निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर ने सर्वप्रथम सरकार द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत् चलायी जा रही इंदिरा आवास योजना के वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्राप्त 2254.314 लाख रू0 के विरूद्ध 1597.750 लाख रू0 राशि व्यय की गयी है जिसमें केन्द्रांश की राशि 1360.345 लाख रू0 सन्निहित है। वर्तमान में इंदिरा आवास योजना का लाभ 4111 लभार्थियों को शिविर आयोजित कर लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जिले के नक्सल प्रभावित 12 पंचायतों में चलायी जा रही

''आपकी सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना का लाभ सभी बीपीएलधारियों को उपलब्ध कराना है। इन 12 पंचायतों में कुल 20540 बी0पी0एल0 परिवारों में 18073 परिवारों को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि धरहरा प्रखंड अन्तर्गत पंचायतों में सर्वाधिक लंबित परिवारों को दिनांक 18.02.2012 को विशेष शिविर आयोजित कर वितरण करना निर्धारित है।

उन्होंने बताया कि जो भूमिहीन लाभुक अवशेष हैं उन्हें 20,000/- रू0 में भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

इस निमित्त माननीय मंत्री महोदय ने निदेश दिया कि भूमिहीन 468 परिवारों में लंबित 192 परिवारों को इंदिरा आवास योजना का लाभ देने के लिए अविलम्ब नीतिगत निर्णय लेते हुए अग्रत्तर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

माननीय सदस्य श्री संतोष सहनी ने मामला उठाया कि दिनांक 24.10.11 को धरहरा उच्च विद्यालय में इंदिरा आवास का शिविर होना था जिसमें प्रखंड के नाजीर के खिलाफ ग्रामीणों ने लिखित आवेदन दिया था जिसपर अबतक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है। इस संबंध में उप विकास आयुक्त, मुंगेर द्वारा आश्वस्त किया गया कि उक्त नाजीर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच जमालपुर के माननीय विधायक, श्री शैलेश कुमार ने अनुरोध किया कि उक्त नाजीर का स्थानान्तरण कर किसी योग्य नाजीर की प्रतिनियुक्ति धरहरा प्रखंड में की जाय।

2.2 मनरेगा :-

निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत कुल 382544 परिवारों में 143349 बी0पी0एल0 परिवारों हैं जिन्हें शत-प्रतिशत जॉबकार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है एवं वर्तमान में 1130 खाता खुलवाने हेतु लंबित है। इसी क्रम में 26 जनवरी, 2012 में सभी पंचायत रोजगार सेवक के हड़ताल पर चले जाने के कारण कार्य अवरूद्ध हो गया है। साथ ही सरकार द्वारा राशि के भुगतान की पद्धति में किये गये बदलाव अर्थात् वर्ष 2010 से RTGS System से भुगतान का निदेश दिया गया है, परन्तु मुंगेर जिले के कई पंचायतों में बैंकों के CBS System नहीं होने से ऐसे खाता के स्थान के पर CBS खाता कराया गया। वर्तमान में कोई समस्या नहीं है।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मानव दिवस की शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने हेतु प्रत्येक पंचायतों में विस्तृत प्रचार-प्रसार करना, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए कार्य योजना तैयार करना एवं ग्रामसभा आयोजित करने का कार्यक्रम निर्धारित है।

चूँकि मुंगेर प्रथम जिला है जहॉ MIR (Mobile Inspector Report) प्रारंभ किया गया है जिसके अन्तर्गत सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को मोबाईल एवं साफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है जिसके माध्यम से वे प्रत्येक दिन दो योजनाओं का स्थलीय जांच कर योजना के अद्यतन स्थिति की तस्वीर एवं ब्योरा उच्चाधिकारियों को प्रेषित करेंगे। इसी क्रम में अब तक 17 पंचायतों में प्राप्त अनियमितताओं के विरूद्ध दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों पर प्राथमिकी

दर्ज करने की कार्रवाई की गयी है। साथ ही जिलाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि सभी कार्यक्रम पदाधिकरियों को पूर्व में ही निदेश दिया जा चुका है कि दिनांक 01.04.2010 से अब तक जितनी योजनाएं चालू हैं, उसका स्थलीय जांच कर परिलक्षित अनियमितताओं के विरूद्ध कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे जिसके अनुश्रवण की जिम्मेवारी उप विकास आयुक्त, मुंगेर को दी गयी है।

बैठक में उपस्थित माननीय सदस्य श्री कुमार प्रणय ने माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया कि मनरेगा योजनान्तर्गत असरगंज प्रखंड में जलालाबाद ग्राम के खेल मैदान में मिट्टी भराई का कार्य होना था जिसमें विगत एक साल से इसकी जांच नहीं हो रही है। इसी क्रम में उप विकास आयुक्त, मुंगेर ने बताया कि उक्त योजना से संबंधित जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है एवं अब विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

2.3 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :-

निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर द्वारा बताया गया कि 31.12.2011 से सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को बंद कर दिया है एवं इसके स्थान पर NRLM योजना की शुरूआत की गयी है। साथ ही अवगत कराया कि वर्तमान में 274.927 लाख रू0 प्राप्त आवंटन के विरूद्ध 155.918 लाख रू0 व्यय किया गया है एवं इस वित्तीय वर्ष में 07 समूहों को वित्त पोषित कराया गया है। यह खेदजनक है कि बैंकों के असहयोगात्मक रवैये के कारण लगभग 89 समूहों का वित्त पोषण नहीं कराया जा सका है। इस प्रश्न के संदर्भ में लीड बैंक प्रबंधक, मुंगेर द्वारा संतोषप्रद उत्तर न देकर सिर्फ यह कहा जाना कि समूह इच्छुक नहीं है, संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः लीड बैंक प्रबंधक, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि यदि कोई समूह वित्त पोषित होने लायक नहीं है तो उसे रद्द कर कारण स्पष्ट करते हुए विभाग को अद्यतन सूची उपलब्ध कराया जाय अन्यथा बैंक स्तर पर रखे गये आवेदनों के लंबित रहने की स्थिति में आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन बैंकों द्वारा सरकारी योजनाओं में सहायता प्रदान नहीं की जाती है तो वैसे बैंकों में सरकारी राशि रखने का औचित्य नहीं है, अतः इस संबंध में उप विकास आयुक्त स्वयं अपने अनुश्रवण में बैंकों की बैठक आयोजित कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

2.4 बी0आर0जी0एफ0 :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त लगभग 841.00 लाख रू0 को मिलाकर 1551.06 लाख रू0 आवंटन प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध लगभग 281.58 लाख रू0 व्यय किया गया है।

2.5 12वीं वित्त आयोग :-

उप विकास आयुक्त, मुंगेर द्वारा बताया गया कि 12वीं वित्त आयोग अन्तर्गत कुल 63.62 लाख रू0 राशि प्राप्त है जिसके विरूद्ध कुल 13.40 लाख रू0 व्यय किया गया है। इस योजनान्तर्गत कुल 73 योजनाओं में 55 योजना पूर्ण हो चुकी है।

2.6 13वीं वित्त आयोग :-

समीक्षा के दौरान परिलक्षित हुआ कि 13वीं वित्त आयोग की अनुशंसित लगभग 472.85 लाख रू0 में से 38.97 लाख रू0 ही व्यय किया गया है जो काफी खेदजनक है। इस संबंध में उप विकास आयुक्त, मुंगेर ने बताया कि पंचायतों द्वारा राशि व्यय नहीं हो पाने में जमीन की अनुपलब्धता सर्वोपरि है जिसके कारण योजना प्रारंभ ही नहीं हो पायी है। अतएव इसकी गंभीरता के दृष्टिगत अनुमंडल स्तर पर इसकी समीक्षा करने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया है।

इस संदर्भ में जिलाधिकारी, मुंगेर द्वारा बताया गया कि बी0आर0जी0एफ0, 12वीं एवं 13वीं वित्त आयोग के योजनाओं हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के निदेश के आलोक में पंचायतवार योजनाओं का समेकितीकरण करा लिया गया है एवं सत्यापन हेतु यथाशीघ्र प्रखंड का चयन कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

बैठक के दौरान माननीय विधायकों एवं सदस्यों की मांग पर निदेश दिया गया कि बी0आर0जी0एफ0, 12वीं एवं 13वीं वित्त आयोग की अनुशंसित योजनाओं की सूची सभी माननीय विधायकों एवं सदस्यों को दिनांक 30.01.2012 तक उपलब्ध करा दी जाय।

इसी क्रम में बैठक में उपस्थित संतोष सहनी, माननीय सदस्य ने बताया कि महुली शंकरपुर ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु जमीन उपलब्ध है एवं भूमि की जांच के उपरान्त भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है।

शैलेश कुमार माननीय विधायक, जमालपुर तथा विश्वनाथ गुप्ता, माननीय सदस्य ने बताया कि नौघागढ़ी उत्तरी पंचायत में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जमीन उपलब्ध है, परन्तु अग्रत्तर कार्रवाई लंबित है।

राजीव कुमार सिंह, माननीय सदस्य द्वारा मामला उठाया गया कि बरियारपुर प्रखंड में पी0डब्लू0डी0 पथ जो बागेश्वरी तक जाती है, के कालीकरण के कार्य में मनरेगा योजना से फर्जी कागजात तैयार कर अवैध राशि की निकासी की गयी है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी, मुंगेर ने उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया कि उक्त योजना पर उठाए गए आपत्तियों का पूर्ण जांच कराकर जांच प्रतिवेदन देंगे कि यदि वास्तव में संबंधित एजेन्सी द्वारा अवैध निकासी की गयी है तो जो कार्य उनके द्वारा की गयी है, उसकी नापी कराकर उतनी राशि योजना से घटायी जाय एवं तत्काल ग्रमीण कार्य प्रमंडल-2 उक्त पथ के कालीकरण का कार्य पर रोक लगायें।

श्री संतोष सहनी माननीय सदस्य द्वारा मामला उठाया गया कि टेटियाबंबर प्रखंड अन्तर्गत नोनाजी पंचायत में कार्यान्वित योजनाओं में जे0सी0बी0 मशीन का उपयोग किया गया था जिसके विरूद्ध कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रदत्त आदेश के निमित्त संग्रामपुर थाना में केश सं0 03/12 दर्ज किया गया है, किन्तु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को निदेश दिया कि दर्ज प्राथमिकी में नामजद व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

3.0 शिक्षा विभाग :-

बिहार सरकार द्वारा सृजित नये पदों के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर ने बताया कि मुंगेर जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के अतिरिक्त पांच जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है जिसमें वर्तमान में 02 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापित हैं। साथ ही छह कार्यक्रम पदाधिकारी के विरूद्ध एक कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापित हैं। तदुपरान्त शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गयी।

माननीय मंत्री महोदय ने क्षोभ प्रकट करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया कि प्राप्त सूचनानुसार मुंगेर जिले में संचालित 08 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के सहायतार्थ खाद्य सामग्री, बेड, पाठ्य सामग्री इत्यादि का स्तर काफी दयनीय है। यह आश्चर्यजनक है कि पूर्व से संचालित 04 विद्यालयों की स्थिति भी अच्छी नहीं है अतएव उसमें यथाशीघ्र जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर अपेक्षित सुधार लाकर प्रतिवेदित करेंगे।

माननीय सदस्य, श्री राजकुमार सिंह ने इस संबंध में मामला उठाया कि महदेवा मध्य विद्यालय, बरियारपुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित है जिसमें बच्चों की उपस्थिति, खाद्य सामग्री एवं उसकी सूची नहीं थी। साथ ही विद्यालय में जेनरेटर के नहीं चलने के बाद भी जेनरेटर के तेल की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने निदेश दिया कि उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर स्वयं इसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करें। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं में अनियमितताएं परिलक्षित होती हैं तो उसके विरूद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाय।

इसी क्रम में तारापुर की माननीया विधायिका, श्रीमती नीता चौधरी ने मामला उठाया कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे विद्यालय, यथा- पंचकुमारी उच्च विद्यालय, आर0 एस0 उच्च विद्यालय कार्यरत् हैं जहा क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक की लापरवाही से प्रधानाध्यापक के प्रभार देने में परेशानी होती है जिससे शिक्षा स्तर में काफी गिरावट आयी है। इस निमित्त जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि इस संबंध में अविलम्ब कार्रवाई की जाएगी।

माननीया विधायिका श्रीमती नीता चौधरी ने मामला उठाया कि तारापुर प्रखंड अन्तर्गत रणगॉव उच्च विद्यालय में वर्तमान में अतिरिक्त निर्मित कमरे में बरसात के दिनों में कई जगहों से पानी टपकता है जिससे विद्यार्थियों को पठन-पाठन कार्य में बाधा पहुॅचती है। इस हेतु जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया कि रणगॉव उच्च विद्यालय, तारापुर में निर्मित अतिरिक्त कमरे की स्थलीय जांच करायें एवं जांचोपरान्त संबंधित संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाय।

4.0 कृषि विभाग :-

सर्वप्रथम जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर ने कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की विस्तार से चर्चा की एवं अवगत कराया कि जिले में प्रखंड स्तर पर ई-किसान भवन के निर्माण में भौतिक लक्ष्य 05 के विरूद्ध धरहरा एवं जमालपुर प्रखंड ऐसे हैं जिनको अपना प्रखंड कार्यालय भवन नहीं है। अतः इन प्रखंडों में भवन निर्माण नहीं होने से राशि शेष है।

4.1 हरित क्रांति विस्तार योजना :-

कृषि विभाग द्वारा चलाये जा रहे उप योजना हरित क्रांति के विस्तार योजना अन्तर्गत श्री विधि से धान की खेती हेतु स्वीकृत लक्ष्य 3000 एकड़ के विरूद्ध 2928 एकड़ की उपलब्धि अर्जित की गयी है जिसमें प्राप्त आवंटन 88.25 लाख रू0 के विरूद्ध 85.71 लाख रू0 व्यय किया गया है। इसी प्रकार दाल एवं दियारा विकास कार्यक्रमान्तर्गत स्वीकृत लक्ष्य 1480 एकड़ में 681 एकड़ की भौतिक उपलब्धि अर्जित की गयी है जिसमें प्राप्त आवंटन 28.54 लाख रू0 में 5.20 लाख रू0 व्यय किया गया है।

4.2 कृषि यांत्रिकीकरण योजना :-

श्री हेमन्त कुमार, माननीय सदस्य ने मामला उठाया कि किसान द्वारा क्रय किये गये ट्रैक्टर पर अब तक अनुदान नहीं दिया गया है, इसके प्रत्युत्तर में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि स्वीकृत लक्ष्य की शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने के बाद विभाग से अतिरिक्त लक्ष्य का आवंटन प्राप्त होने पर अनुदान की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी, परन्तु यदि आवंटन प्राप्त नहीं होता है तो राशि नहीं दी जाएगी।

4.3 किसान सलाहकार :-

बैठक के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी 101 पंचायतों में किसान सलाहकार के पद स्वीकृत हैं जिसमें चयनित 85 के विरूद्ध 82 किसान सलाहकार कार्यरत् है एवं रोस्टर के कारण आरक्षण बिन्दु खाली रहने के प्रश्न पर सरकार से निर्णय प्राप्त होने पर ही रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जाएगी।

4.4 मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना :-

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 6606 टन यूरिया की आवश्यकता के विपरीत 3312 टन यूरिया ही प्राप्त हुआ है तथा DAP के दाम बढ़ने से स्टोर में रखा हुआ है। निदेश दिया गया कि शीघ्र अपने स्तर से समुचित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

श्री संतोष सहनी, माननीय सदस्य ने मामला उठाया कि लगभग 10 वर्षों से कृषि विभाग के कई लिपिक, यथा- संजय कुमार पंडित, सैयद ईजराईल हक, वागेश्वरी प्रसाद वागे इत्यादि का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। इस पर माननीय मंत्री महोदय ने जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया कि वैसे लिपिकों के स्थानान्तरण की अनुशंसा विभाग को भेजें जो विगत कई-कई सालों से एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं।